

5/7/20

पत्रावली पेश हुई। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
बांसवाड़ा ने पत्र पुस्तुत कर बताया कि ग्रामी
श्री शंकरा व्यास द्वारा समस्त ग्राम विस्तार में
व्याज सहित जमा करवा दिया है। तथा ग्रामी
के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं।
बैंक के आवेदन एवं प्रमाण में सम्पूर्ण शर्तों मग्न
व्याज के जमा हो जाने से कोई कार्रवाई आवश्यक
नहीं है। पत्रावली फ़ैलम शुभार होकर दारिद्र्य दफ्तर
है।


जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

